संख्या-**587**/2025/1843/41-1-2025/004-CN-1796736-2024

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक **27** जून, 2025

विषय:-उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1469/6-1-1(रा0-यो0/यू0सी0)/2025-26,दिनांक 26 जून, 2025का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पर्यटन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025, शासनादेश सं0-331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025,शासनादेश सं0-369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025 एवं शासनादेश सं0-426/2025/1328-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 28 अप्रैल, 2025 द्वारा विभिन्न परियोजनायें, जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 कार्यदायी संस्था नामित है, हेतु प्रथम किश्त के रूप मेंटोकन धनराशिअवमुक्त किये जाने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2025-26 में द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजनान्तर्गत निम्नवत परियोजनाओं हेतु द्वितीय किश्त के रूप में सारणी के स्तम्भ-7 के अनुसार कुल रू0 2660.00लाख (रू0 छब्बसी करोड़ साठ लाख मात्र) को अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	**कम्प्यूटर संख्या**	**कार्य का नाम**	**शासनादेश संख्या एवं दिनांक**	**प्रशासकीय स्वीकृति (जी0एस0टी0 सहित)**	**प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि**	**द्वितीय किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि**
1	2	3	4	5	6	7
1.	1912747	जनपद फतेहपुर स्थित रजाशेष बाबा मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025	72.10	1.00	40.00
2.	1914668	विधानसभा क्षेत्र श्रावस्ती के अन्तर्गत सीताद्वार झील पर बने घाट का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य	369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025	100.00	0.25	60.00
3.	1912770	जनपद सुलतानपुर में वे-साइड ऐमिनिटी का कार्य।	317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025	121.90	1.00	70.00
4.	1913855	जनपद सुलतानपुर वि0स0-	331/2025/1037/41-	74.95	0.25	40.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		इसौली के वि0ख0-बल्दीराय की ग्राम पंचायत-सुखबहेडी में सुखदेव मुनि आश्रम का पर्यटन विकास कार्य हेतु	1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025			
5.	1911885	जनपद मऊ के वि0ख0-मधुबन के ग्राम दुआरी पोस्ट-दुआरी में स्थित श्री वीरा बाबा ब्रह्म स्थान का पर्यटन विकास कार्य।	317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025	55.80	1.00	30.00
6.	1912971	जनपद आजमगढ में स्थित श्री प्रथम देव स्थान वहरा देव बाबा गौरा भदानपुर का पर्यटन विकास कार्य	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	99.00	0.25	60.00
7.	1912978	जनपद आजमगढ मिश्रपुर में स्थित रामजानकी मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	74.89	0.25	40.00
8.	1912977	जनपद आजमगढ महराजगंज में स्थित भैरोबाबा का पर्यटन विकास कार्य हेतु	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	83.77	0.25	50.00
9.	1912960	जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद में स्थित धर्मागढ बाबा मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	75.40	0.25	40.00
10.	1913818	औरैया स्थित प्राचीन देवकली मंदिर परिसर का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य	369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025	95.10	0.25	60.00
11.	1913985	जनपद औरैया के दिबियापुर में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिरका पर्यटन विकास कार्य	369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025	75.22	0.25	40.00
12.	1913456	जनपद कन्नौज स्थित छिबरामऊ ग्राम सकरावा में प्राचीन बजरंगबली मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	98.60	0.25	60.00
13.	1914720	जनपद संतकबीर नगर के राम जानकी मंदिर का पर्यटन विकास कार्य	369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025	90.41	0.25	55.00
14.	1912723	जनपद ललितपुर में ग्राम पंचायत मसौरा कला स्थित बिहारी जी मंदिर, सिद्धबाबा मंदिर एवं देहरे बाबा मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025	109.10	1.00	65.00
15.	1912753	जनपद कानपुर नगर में वि0स0 सीसीमऊ क्षेत्र के अन्तर्गत राम कृष्ण मंदिर का विकास कार्य।	317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025	50.30	1.00	30.00
16.	1912817	जनपद कानपुर नगर में मसवान पुर स्थित शिव मंदिर और राधा-कृष्ण का पर्यटन विकास कार्य।	317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025	40.60	1.00	25.00
17.	1912420	जनपद कानपुर नगर विकास खण्ड भीतरगांव स्थित बिहारी जी मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025	74.80	1.00	40.00

http://shasanadesh.up.gov.in

18.	1912805	जनपद बस्ती के ग्राम परिवारपुर हरैया परमहंस धाम मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025	94.50	1.00	60.00
19.	1913471	जनपद बस्ती वि0ख0 बहुदेरपुर ग्राम महादेवा बस्ती सदर में बरूआ नाथ शिव मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	99.00	0.25	60.00
20.	1911839	बदायूँ के वि0स0 -बिल्सी के ग्राम-सिसरौल जसा वि0ख0 अम्बियापुर में खेरे वाली माता मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025	74.81	1.00	40.00
21.	1913783	जनपद बदायूँ के उसावां रोड स्थित बोधिसत्व अम्बेडकर बुद्ध विहार का पर्यटन विकास कार्य	369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025	73.92	0.25	40.00
22.	1912364	जनपद गोण्डा में स्थित तिरे मनोहरपुर (तिरे मनोरमा) मंदिर रूपाईडीह मेहनौन का पर्यटन विकास कार्य।	317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025	75.00	1.00	40.00
23.	1913320	जनपद रायबरेली के सलोन में स्थित महेश्वरनाथ मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	56.80	0.25	35.00
24.	1912666	जनपद झांसी में बुद्ध बिहार जिला में उपलीराजगृह का पर्यटन विकास कार्य।	317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025	73.00	1.00	40.00
25.	1914757	जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड-बलरामपुर सदर में शक्तिपीठ जुआदेवी मंदिर श्रीनगर जुआथान के पर्यटन विकास कार्य	426/2025/1328-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 28 अप्रैल, 2025	75.00	0.25	40.00
26.	1912555	जनपद बलिया में स्थित ग्राम खराहातर में शिव मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025	79.80	1.00	45.00
27.	1911878	जनपद बलिया की तहसील-सिकन्दरपुर के ग्राम-कठौडा में भगवान श्रीकृष्ण कृपा धाम का पर्यटन विकास कार्य।	317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025	56.30	1.00	25.00
28.	1913485	जनपद बलिया के लखनेश्वर डेह मंदिर में स्थित रसादा का पर्यटन विकास कार्य हेतु	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	74.92	0.25	40.00
29.	1913330	जनपद बलिया में स्थित ग्राम चरौआ में स्थित रामजानकी मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	63.50	0.25	35.00
30.	1912969	जनपद बलिया के वि0स0-बेल्थरा रोड ग्राम पंचायत-तेन्दुआ पट्टी फरसाटार मौजा होलपुर के हनुमान मंदिर परिसर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	73.91	0.25	40.00
31.	1912851	जनपद बलिया में स्थित ग्राम	331/2025/1037/41-	196.48	0.25	120.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		बसन्तपुर में उदासीन मठ का पर्यटन विकास कार्य हेतु	1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025			
32.	1912304	जनपद लखनऊ के अलीगंज में रैदास मंदिर का पर्यटन विकास कार्य	317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025	464.55	1.00	250.00
33.	1912720	जनपद लखनऊ के विधानसभा क्षेत्र सरोजनी नगर स्थित तथागत बुद्ध विहार का पर्यटन विकास कार्य।	317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025	75.10	1.00	40.00
34.	1912301	जनपद बहराइच में ग्राम इमलियागंज पयागपुर में गायबगीर बाबा सिद्ध बाबा परिसर परिसर का पर्यटन विकास कार्य।	317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025	75.00	1.00	40.00
35.	1914670	जनपद बहराइच के नगर बसीरगंडा में चित्रगुप्त मंदिर का पर्यटन विकास कार्य	369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025	92.77	0.25	55.00
36.	1914726	जनपद बहराइच में परसननाथन मंदिर, शंकरपुर का पर्यटन विकास कार्य	369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025	58.35	0.25	35.00
37.	1912037	जनपद हदरोई के नैमिषारण्य की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर ग्राम साखिन में संखेश्वर मंदिर परिसर के पर्यटन विकास कार्य।	317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025	86.00	1.00	50.00
38.	1914758	जनपद हरदोई के वि0ख0- भरावन के ग्राम सोनिकपुर में महाभारत कालीन वाणेश्वर महादेव मंदिर के पर्यटन विकस कार्य	426/2025/1328-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 28 अप्रैल, 2025	74.99	0.25	40.00
39.	1912003	जनपद अमरोहा के वि0ख0- हसनपुर में मोहल्ला होली बाला स्थित शिवाला मंदिर परिसर का पर्यटन विकास कार्य।	317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025	61.10	1.00	35.00
40.	1913915	जनपदबरेली के विधानसभा क्षेत्र ऑवला में श्री अहिच्छत्र पार्श्वनाथ अतिशयतीर्थक्षेत्र दिगम्बर जैन मंदिर रामनगर किला का पर्यटन विकास कार्य	369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025	181.50	0.25	110.00
41.	1914689	जनपद शाहजहाँपुर की तहसील-पुवायाँ के गुडिया गांव स्थित 52 दरवाजे का ठाकुर जी मंदिर का पर्यटन विकास कार्य	369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025	59.01	0.25	35.00
42.	1914672	जनपद बिजनौर में परगना-बूडपुर में स्थित देवस्थान अडीमल वाले देवता का पर्यटन विकास कार्य	369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025	79.71	0.25	45.00
43.	1914667	जनपद बिजनौर में स्थित पौराणिक मां रूक्मणी गलका माता मंदिर, सदर देवमल का पर्यटन विकास कार्य	369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025	63.74	0.25	35.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

44.	1914666	जनपद बिजनौर में स्थित प्राचीन झारखण्डी मंदिर मजा सेजरामपुर का पर्यटन विकास कार्य	369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025	95.90	0.25	55.00
45.	1914669	जनपद बरेली के भोजीपुरा में स्थित सेमी खेडा दाऊ जी प्राचीन शिव मंदिर का पर्यटन विकास कार्य	369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025	181.50	0.25	100.00
46.	1914765	जनपद शाहजहांपुर के वि0स0-कटरा के वि0ख0-जैतीपुर के ग्राम पहाड़पुर में स्थित शिव संकट मोचन धाम मंदिर के पर्यटन विकास कार्य	426/2025/1328-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 28 अप्रैल, 2025	104.40	0.25	60.00
47.	1884616	मा0 लोकनायक जयप्रकाश नारायन के गांव में सेवादास धाम मन्दिर का पर्यटन विकास कार्य	369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025	78.78	0.25	45.00
48.	1914697	जनपद आजमगढ में स्थित दुर्वासा ऋषि आश्रम फूलपुर पवई का पर्यटन विकास कार्य	369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025	99.21	0.25	60.00
49.	1914693	जनपद मऊ डुमरांव गांव में स्थित पौहारी बाबा मंदिर का पर्यटन विकास कार्य	426/2025/1328-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 28 अप्रैल, 2025	99.25	0.25	60.00
50.	1914723	जनपद गोण्डा के वि0स0-गौरा के वि0ख0-बभनजोत के ग्राम पंचायत-बैजपुर में शंकर जी मंदिर का पर्यटन विकास कार्य	369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025	75.00	0.25	45.00
कुल योग				**(रूपये छब्बीस करोड़ साठ लाख मात्र)**		**2660.00**

(1) परियोजनाओं हेतु पूर्व में निर्गत पर्यटन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025, शासनादेश सं0-331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025,शासनादेश सं0-369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025 एवं शासनादेश सं0-426/2025/1328-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 28 अप्रैल, 2025में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया हो।

(2) परियोजनाओं हेतु अगली किश्त की मांग करते समय कार्यदायी संस्था/पर्यटन निदेशालयद्वारा जी0एस0टी0 एवं लेबर सेस मद में जमा की गयी धनराशि का प्रमाण पत्र एवं चालान की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025**,** दिनांक 27 मार्च**,** 2025 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है**,** उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत परियोजनाओं के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजनाओं में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) प्रश्नगत परियोजनाओं में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर -212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

(8) प्रश्नगत परियोजनाओं में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया गया।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया गया। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि की स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षारित कराये हुये (तिथि साहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(12) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

(13) सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों/उपकरणों का क्रय उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) से नियमानुसार क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/अपर परियोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/उपनिदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 26,60,00,000 (रूपये छब्बीस करोड़ साठ लाखमात्र)को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-044 लेखा शीर्षक 5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मानक मद-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारीद्वारा महानिदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक,उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0,लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक,पर्यटन निदेशालय,लखनऊ।
7. निदेशक,उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA),लखनऊ।
8. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय,लखनऊ।
9. सम्बन्धित उप निदेशक, पर्यटन/क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, पर्यटनद्वारा महानिदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in